न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 149/14 **निर्णय दिनांकः 31.10.2018**

1. कादर पुत्र बसाया जाति मुसलमान निवासी दन्तौर तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. जसवन्त सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति तरखान निवासी चक 20 एच तहसील केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18—01—2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री विजय पारिक, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुरेश मोहता, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18—01—2000 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 3 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 150/23 की 24 बीघा 10 बिस्वा

भूमि अपीलांट को दिनांक 23—01—1985 को पुख्ता आवंटित की गई थी तथा आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि का पट्टा व कब्जा प्राप्त कर लिया गया था। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी जो किसी भी स्थिति में आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश बिना जॉच किये व बिना वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त किये व बिना रिकार्ड का अवलोकन किये पारित किया गया है। अदालत मातहत को वादगत् भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने से पूर्व इस तथ्य की भलींभांति जॉच की जानी आवश्यक थी कि क्या वादगत् भूमि शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि है अथवा नहीं? यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ही वादगत् भूमि की रिपोर्ट अथवा रिकार्ड का अवलोकन किया जाता तो अदालत मातहत के समक्ष यह स्थिति स्वमेव उत्पन्न हो जाती कि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है तथा आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना व बिना नोटिस दिये ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट् को किया गया है। जो निरस्त योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन तमाम जॉच के उपरान्त किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् समस्त राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई है तथा राजस्व रिकार्ड में इंतकाल संख्या 47 बतौर खातेदार दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज भूमि है। यदि अपीलांट वादगत् भूमि से किसी प्रकार से व्यथित है तो उन्हें नियमानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व खातेदारी अधिकारों के विरूद्व कार्यवाही नहीं करते हुए आवंटन को चैलेंज किया गया है जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व कार्यवाही है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि वादगत् भूमि अपीलांट को वर्ष 1985 में आवंटित भूमि है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि वादगत् भूमि टीआरए के सेल रजिस्टर के अनुसार अपीलांट का आवंटन निरस्त होने का पृष्ठांकन होने के आधार पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को आवंटित भूमि निरस्त हो चुकी है तथा वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने पर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई है। इस प्रकार वादगत् भूमि पर अपीलांट का कोई अधिकार शेष नहीं रहा जाता है।

ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक प्रकरण में मियांद का प्रश्न है अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—01—2000 के विरूद्व अपील दिनांक 30—06—2014 को प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि चक 3 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 150/23 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन अपीलाधीन आदेश के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 23—01—1985 को वादगत् भूमि चक 3 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 150/23 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन अपीलांट को करते हुए आवंटन पट्टा व कब्जा प्रदान किया गया। तत्पश्चात् आराजी जैर चक 3 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 150/23 में 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा एक ही भूमि का दो बार आवंटन क्रमशः अपीलांट/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(4) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन दिनांक 23—01—1985 को अपीलांट को हो चुका है तथा आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का आवंटन पट्टा व कब्जा अपीलांट द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होकर अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड होन के कारण आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(5) इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18—01—2000 को वादगत् भूमि का आवंटन की अनुशंसा किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राशि जमा करवाते हुए वादगत् भूमि के खातेदारी अधिकार हासिल कर लिये गये है। अपीलांट को आवंटित भूमि चक 3 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 150/23 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का टीआरए के सेल रजिस्टर में खारिज का पृष्ठांकन होने के उपरान्त ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(6) चूंकि प्रकरण में दोनों ही पक्षकारों द्वारा अपने अपने आवंटन को सही ठहराते हुए आवंटन बहाल किये जाने का कथन किया जा रहा है। जबकि यह तथ्य जॉच का विषय है कि क्या वादगत् भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने की दिनांक को अपीलांट का आवंटन खारिज हो चुका था अथवा नहीं? व वादगत् भूमि शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि थी अथवा नहीं?

प्रकरण में अपीलांट/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक बहाल है अथवा अपीलांट का आवंटन खारिज किया जा चुका है। लिहाजा अपील के स्तर पर अपीलांट/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन को खारिज किया जाना युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता। प्रकरण में अदालत मातहत दोनों आवंटनों की भलींभांति जॉच करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु स्वतन्त्र है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांट/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटनों की जॉच करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर